बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 17.6.2014

संख्या.11 / फि0अ0(स्था0)–09 / 2013– 290(11)/ अधिसूचना संख्या 289(11) दिनांक 17.6.2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

Government of Bihar

Department of Health

Notification

Patna,Dated : 17.6.2014

No. 289(11)/In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the "Bihar College of Physiotherapy and Occupational therapy Teaching Cadre Rules, 2014. :-

1. Short title , extent and commencement:- (1) These Rules may be called the Bihar college of Physiotherapy and Occupational therapy Teaching Cadre (Amendment) Rules, 2014.

   (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar,

   (3) It shall come in to fore at once.

2. Rule 17 of the said Rules, 2014 shall be substituted by the following :-

"17(1) Qualifications specified in Appendix-1 shall not apply to the tutors/ /Lecturers deputed as Physiotherapists/Occupational therapists for teaching work.

(2) Ex-Tutors/ Lecturers already deputed to Bihar College of Physiotherapy and Occupational therapy as Physiotherapists/ Occupational therapists prior to the commencement of these rules will be adjusted as assistant professer as one time measure even if they do not have the teaching qualifications determined in Appendix-1, After adjustment, they will continue till superannuation as a member of dying cadre and they will also be admissible for promotion according to the availability of the vacancies."

By order of the Governor of Bihar,

(Sanjay Kumar)

Joint Secretary to the Government.

ज्ञापांक :– 11/फि0अ0(स्था0)–09/2013–290 (11) पटना, दिनांक:–17.6.2014

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 17.6.2014

संख्या–11 / फि०अ०(स्था०)–09 / 2013–289 / भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, "बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी ऐंड अकुपेशनलथेरापी शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2014" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ।–(1) यह नियमावली बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एंड अकुपेशनलथेरापी शिक्षण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. उक्त नियमावली, 2014 का नियम–17 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

   "17. (1) परिशिष्ट–1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएँ पूर्व से पदेन ट्यूटर / व्याख्याता के रूप में शिक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्त फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट के संबंध में लागू नहीं होगा।

   (2) इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व से बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी / अकुपेशनलथेरापी में पदेन ट्यूटर / व्याख्याता के रूप में प्रतिनियुक्त फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट परिशिष्ट–1 में अवधारित शैक्षणिक अर्हता नहीं रखते हुए भी One time measure के तहत सहायक प्राध्यापक के पद पर समायोजित समझे जायेगें। समायोजन के पश्चात् ये मरणशील संवर्ग के सदस्य के रूप में अपनी सेवानिवृति तक बने रहेंगे और उन्हें रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार प्रोन्नति भी अनुमान्य होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 11 / फि०अ०(स्था०)–09 / 2013–289(11) पटना, दिनांक:– 17.6.2014

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव